20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

(132)

समक्षः न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,

श्रंखला–जबलपुर, (म.प्र.)

निगरानी-4788/2018/नरसिंहपुर/भू.रा.

Revision निगरानी प्रकरण कमांक / /2017–18

निगरानीकर्ता / अनावेदक

रविन्द्र सोनी आत्मज श्री सुरेश सोनी, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी हनुमान वार्ड कमांक–8, तहसील व पुलिस थाना गाड़रवारा, जिला–नरसिंहपुर (म0प्र0)

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / आवेदक

गिरधारी लाल आत्मज चंचलदास जयसिंघानी, निवासी जवाहर वार्ड गाड़रवारा, तहसील गाड़रवारा जिला नरसिहपुर, (म0प्र0)

श्री सुरेन्द्र मिश्रा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतकार रीडर 24 JUL 2018 अधीक्षक कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

निगरानी अंतर्गत धारा 50, सह–पठित धारा 32 म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959

(631)

दुःखित आदेशों का विवरण

क0	प्रकरण क्र0	न्यायालय	प्रकरण की प्रकृति	पक्षकार	निर्णय
1.	रा.प्र.क. 0238/ ब–121/17–18	तहसीलदार गाड़रवारा	नजूल में आवंटित दुकान खाली कराने	गिरधारीलाल वि. रविन्द्रसोनी	20.07.18 अंतरिम

विवादित नजूल पट्टे के आवंटित दुकान का विवरण

क्र0	मौजा	नं0बं0	प.ह.नं.	ख.नं.	रकबा	स्वामी	स्वीकृत कब्जा
1.	गाड़रवारा लीज की दुकान	नजूल भूमि	18/1	सीट क0–8	10X10 =100	गिरधारीलाल आवेदक	रविन्द्र सोनी कब्जाधारी

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि, प्रत्यर्थी / आवेदक द्वारा अधीनस्थ विचारण न्याया0 के समक्ष इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि उसके द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु आवंटित दुकान का पट्टा जिसे कुछ दिनो के लिये अपीलार्थी / अनावेदक द्वारा मॉगने पर दी थी, दुकान में समान रखने के पूर्व उसने / अपीलार्थी कुछ दिन बाद खाली करने को बोला था, परन्तु लगभग 4 वर्ष बीत जाने पर जब वह दुकान खानी नही किया तब प्रत्यर्थी दुकान खाली कराये जाने हेतु कब्जा दखल कराने की सहायता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चाही है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपंजीकृत प्रकरण में अपीलार्थी को नोटिस भेजकर जबाव तलब किया गया, अपीलार्थी / अनावेदक न्यायालय में उपस्थित होकर एक अन्तरवर्ती आवेदन पत्र वास्ते आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत दिनांक 27.04.2018, के प्रचलनशीलता पर प्रारंभिक घोर आपत्ति जैसे ही दिनांक–18.07.2018 को प्रस्तुत किया न्यायालय तहसीलदार ने गरम मेज़ाज के साथ पूर्ण असंतुलित होकर अपीलार्थी की प्रस्तुत आपत्ति औचित्यहीन मानकर यह कहते हुये अमान्य कर दिया नियत पेशी दिनांक 20.07.2018 को जबाव प्रस्तुत करें। अपीलार्थी की आपत्ति औचित्यहीन होने का न तो किसी आधार का उल्लेख किया और न ही Withough Spiking Order के आपत्ति का निराकरण कर दिया जिस परिवेदित आदेश से दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है।

OATH COMMISSIONER Smt SUMAN SONI JABALPUR

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–4788/2018/नरसिंहपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.08.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र मिश्रा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार गाडरवारा जिला नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण कमांक 0238/ब–121/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20.7.18 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। उसके साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 52 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया है। 2– प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु आबंटित दुकान का पट्टा जिसे कुछ दिनो के लिये अपीलार्थी/अनावेदक द्वारा मांगने पर दी थी, दुकान में सामान रखने के पूर्व उसने/अपीलार्थी कुछ दिन बाद खाली करने को बोला था, परन्तु लगभग 4 वर्ष बीत जाने पर जब वह दुकान खाली नहीं किया तब प्रत्यर्थी दुकान खाली कराये जाने हेतु कब्जा दखल कराने की सहायता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चाही है। विचारण न्यायालय द्वारा अपंजीकृत प्रकरण में अपीलार्थी को नोटिस भेजकर जबाव तलब किया गया, अपीलार्थी/अनावेदक न्यायालय में उपस्थित होकर एक	

अन्तरवर्ती आवेदन पत्र वास्ते आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत दिनांक 27.04.2018 के प्रचलनशीलता पर प्रारंभिक घेर आपत्ति जैसे ही दिनांक 18.07.2018 को प्रस्तुत किया न्यायालय तहसीलदार ने अपीलार्थी की प्रस्तुत आपत्ति औचित्यहीन मानकर यह कहते हुये अमान्य कर दिया नियत पेशी दिनांक 20.07.2018 को जबाव प्रस्तुत करें। इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक की प्रारंभिक आपत्ति अमान्य की गई एवं अनावेदक के जबाव हेतु प्रकरण में पेशी दिनांक 20.07.18 नियत की गई। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इससे उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार गाडरवारा जिला नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण कमांक 0238/ब–121/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20.7.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राहय की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य